अपील सूचना अधिकार संख्या 52/2019 (RCMS 2019/00153) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक श्रीगंगानगर बनाम तहसीलदार, निर्वाचन हाल प्रधानाध्यापक, पी. टी.एस., गजसिंहपुर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.08.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए। उसे सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसने प्रधानाध्यापक, पी.टी.एस., गजसिंहपुर से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.2019 से 16 बन्दुओं पर सूचना चाही थी। प्रधानाध्यापक, पी.टी.एस., गजसिंहपुर ने उसे बिन्दुवार सूचनाएं नहीं दी है जबकि 30 दिवस के अन्तर्गत उसे सूचना उपलब्ध करवाना जाना आवश्यक था। इसलिए उसकी अपील स्वीकार की जाकर वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत धारा 20(1) व (2) के अन्तर्गत 25000/- शास्ति अधिरोपित करने की कृपा करें एवं उचित हर्जाना दिलवाया जावे।

मैनें प्रार्थी उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 10.06.2019 (P.O. No. 41F/576471) के द्वारा कुल 16 बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो उसे लोक सूचना अधिकारी एवं प्रधानाध्यापक, पी.टी.एस., गजसिहंपुर द्वारा बिन्दुवार सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण यह अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा अपने सूचना के अधिकार प्रार्थना पत्र में निम्न सूचनाएं चाही थी :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रधानाध्यापिका, पी.टी.एस., गजसिंहपुर वर्तमान पदस्थापित तहसीलदार (निर्वाचन), श्रीगंगानगर श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई द्वारा लिखे गए पत्रांक 29.05.2019 जो जांच रिपोर्ट के जवाब में लिखा गया है एवं सम्बोधित अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर को है, के साथ संलग्न पत्रांक दिनांक 08.04.2019 के सम्बन्ध में सूचना व प्रमाणि प्रति।

1. उपरोक्त पत्रांक श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई द्वारा जिस स्त्रोत व माध्यम से प्राप्त किया गया है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

2. पत्र प्राप्त करने में राशि जमा कराई जाने की स्थिति में राशि की सूचना व रसीद की प्रमाणित प्रति।

3. यह पत्र जांच रिपोर्ट की जिस बिन्दु से सुसंगत है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

4. यह पत्र जिस कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी से प्राप्त किया गया है उस कार्यालय, कर्मचारी व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।

5. जिस दिनांक को प्राप्त किया गया है, उस दिनांक की सूचना।

6. उक्त पत्र में यह तथ्य अंकित कि ''मूल प्रति में गंगा देवी अंकित है'', मूल प्रति की प्रमाणित प्रति की नकल जो उप पंजीयक कार्यालय से प्रमाणित हो।

7. उक्त पत्र में यह तथ्य कि ''कार्यालय प्रति पर लिपीकीय त्रुटि से मोनिका देवी लिश गया है''

लिपीकीय त्रुटि जिस आधार पर लिखा जा रहा है व नियम के अन्तर्गत लिखा जा रहा है उस आधार व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

8. उस कर्मकार व राशि का हस्त लिखित नाम व कथन कि उसके द्वारा लिपिकीय भूल से मोनिका देवी लिखा गया है।

9. इस पत्र के प्रपत्र पृष्ट के पेज संख्या 1 के पैरा संख्या 3 की लाईन संख्या 4 में यह तथ्य अंकित है कि पारिवारिक विवाद के कारण मिथ्य कथन किया गया है'' पारिवारिक विवाद की व मिथ्या कथन जिस विषय वस्तु के सम्बन्ध में किया गया है, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति इन दोनों कथनों की

10. इस पत्र के पैरा संख्या 5 की आखिरी लाईन में लिखा है कि ''प्रोवीजरल एएए है''

प्रोवीजरल एरर जिस पंजीयन अधिनियम व स्टाम्प अधिवक्ता में जिस धारा में अंकित है व प्रोविजरल एक्ट लिखा है इसकी सूचना व प्रावीजरल एरर की परिभाषा की प्रमाणित प्रति।

11. इसी पत्र में यह तथ्य कि धारा 23 ए के प्रावधान इस दस्तावेज पर लागू नहीं होते है''

जिस दस्तावेज पर धारा 23ए के प्रावधान लागू होते है, उसकी सूचना व उसकी प्रमाणित प्रति जिस पर धारा 23ए के प्रावधान लागू होते है।

12. इसी पत्र में यह तथ्य कि ''जिस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया है व सक्षम व्यक्ति है'' एवं उसे दस्तावेज प्रस्तुत करने का आधार है

इस बात का दस्तवेजी व हस्त लिखित कथन सक्ष्ज्ञम व्यक्ति का, जिसके द्वारा उपपंजीयक में उपलब्ध दस्तावेज प्रमाणित प्रति, व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई है व उसे दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

13. धारा 40 के अन्तर्गत सक्षम व्यक्ति द्वारा ही दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, इस पत्र की क्षितिज पेज की लाईन संख्या एक में अंकित है।

सक्षम व्यक्ति द्वारा धरा 40 के अन्तर्गत दस्तावेज प्रस्तुत किया गया उप पंजीयक कार्यालय में। इस बात की प्रमणित प्रति उप पंजीयक कार्यालय की प्रदान करायें।

14. कार्यालय रिकॉर्ड में अंगूठा निशानी गंगा देवी की है – इस बात का दस्तावेजी सूचना उप पंजीयक कार्यालय की प्रमाणित प्रति सहित।

15. इस पत्र में यह तथ्य कि नाम मोनिका लिखे हाने का अनुचित लाभ लेना चाहता है''

अनुचित लाभ जिस प्रकार लेना चाहता है, उसकी सूचना व दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।

16. इस पत्र में अंकित तथ्य कि लिपिकीय भूल के कारण ही सहवन शब्द लिखा गया है ''

जिस लिपिक द्वारा सहवन शब्ल भूल से लिखा है, उसकना नाम व आधार की सूचना व प्रमाणित प्रति।

उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में **प्रधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर ने अपने पत्रांक 325–26 दिनांक 16.07.19 से अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया है :**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में आप द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार है :

क्रमांक	बिन्दु	सूचना का जवाब
1	1,2,4,5, 8,10,15 व 16	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात सूचना वही देय है **जो अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप से नहीं होनी चाहिए,** सूचना के रूप में प्रत्यार्थी न तो कोई सूचना बना सकते है और न ही स्वयं का मत दे सकते है, लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है **कि वह आवेदक को सामग्री उसकी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है, सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना,** लोक सूचना **अधिकारी का काम नहीं है।** इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते, सूचना के अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में प्रदान किया जा सकता है। बिन्दु संख्या 1,2,4,5,13,14 एवं 15 में संदर्भित क्रमांक का पत्र इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
2	3,6,7, 9,11,12, 13, 14	बिन्दु संख्या 3,6,7, 9,11,12, 13, 14 इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

-sd-
प्रधानाध्यापक
पटवार प्रशिक्षण केन्द्र
गजसिंहपुर

इसके अतिरिक्त प्रधानाधपक पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर ने उक्त अपील के सम्बन्ध में अपने पत्रांक 377 दिनांक 16.08.2019 में निवेदन किया है कि :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इस कार्यालय में इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख/दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण संलग्न कर संभव नहीं है। श्रीमान्जी प्रधानाध्याक, पटवार प्रशिक्षण शाला, गजसिंहपुर का अपील अधिकारी निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर है। (आदेश की प्रति संलग्न है।) अतः अपील को निरस्त करने का कष्ट करें।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर से है और लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत पटवार प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थन, अजमेर के पत्रांक प. 1(78)राअप्रसं/स्था./08 दिनांक 03.01.2006 तहत प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर अधिकृत है। इसलिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रथम अपील की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नही है

चूंकि इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जाती है कि प्रार्थी चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में सक्षम प्रथम अपीलीय न्यायालय में नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रधानाध्याक, पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर